जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 26/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर 26/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09–01–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.01.16 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

1. विधान सभा चुनाव 2013 में बी.एल.ओ. क्रमांक 742–850 के अन्दर श्री सुभाष गोयल भाग संख्या 80 को मतदाता पहचान पत्र वितरण हेतू एवं विधान सभा चुनाव के कार्यो का निष्पादन हेतु नियुक्ति का पत्र की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. सुभाष गोयल बी.एल.ओ. भाग संख्या 80 के मतदाताओ को (समस्त मतदाताओ को) पर्ची वितरित कर दी गई है इस आश्य का निर्वाचन नियमों की पालना में पर्ची परिचय पत्र वितकरने का प्रमाण पत्र सुभाष गोयल के हस्तलिखित प्रमाण पत्र।
3. बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल द्वारा विधान सभा चुनाव में परिचय पत्र वितरित करने का प्रमाण पत्र न दिये जाने पर उसके विरूद्ध निर्वाचन नियमों के जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. उक्त आदेश की भंगीमा करने पर (परिचय पत्र वितरण करने में) जो अधिकारी बी.एल.ओ. के विरूद्ध कार्यवाही करने में सक्षम है उसका नाम व पद की सूचना व नियम की प्रतिलिपि।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.01.16 के द्वारा चाही गई उक्त 4 बिन्दूओ की सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर ने जान बूझकर उपलब्ध नही करवाई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे एवं उनके द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 192 दि0 29.02.16 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पंजिकृत पत्र सं0 162 दिनांक 09.02.2016 के द्वारा अपीलार्थी को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 162 दिनांक 09.02.2016 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया है:–

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के संबंध में लेख है कि:–

बिन्दू संख्या 1 से 4 के तहत चाही गई सूचना के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतू आवेदन कर सकते है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P To

26/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 1 से 4 तक की जो सूचनाएं चाही गई है वह कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 09.02.2016 सही है फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर** को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

236-37
25-1-17

आदेश आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानो राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर